रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1836] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2010/भाद्र 15, 1932

No. 1836] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2010

का.आ. 2180(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के साथ पठित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

(i) उक्त अधिसूचना में, खंड (ग) में क्रम संख्या (i), (ii) और (iii) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(i) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, लोक सभा,

(ii) श्री दुष्यंत सिंह, लोक सभा,

(iii) श्री करन सिंह, राज्य सभा ।";

(ii) खंड (ड.) में विद्यमान क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

" (i) बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) मुम्बई,

(ii) आरण्यक, गुवाहटी,

(iii) सतपुडा फाउंडेशन, अमरावती,

(iv) नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर,

(v) वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर ।";

(iii) खंड (च) में विद्यमान क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(i) श्री वाल्मीक थापर,

(ii) श्री बृजेन्द्र सिंह,

(iii) डा. एम. के. रंजीत सिंह,

(iv) डा. दिव्यभानु सिंह, चावड़ा,

(v) श्री बिट्टू सहगल,

(vi) श्रीमती सुगथा कुमारी,

(vii) डा. उमा रामाकृष्णन (एन.सी.बी.एस., बंगलौर),

(viii) डा. ए.जे.टी. जोहन सिंह,

(ix) सुश्री मिताली कक्कड,

(x) सुश्री प्रेरणा बिन्द्रा ।";

(iv) खंड (फ) में विद्यमान क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(i) अरुणाचल प्रदेश,

(ii) असम,

(iii) जम्मू-कश्मीर,

(iv) झारखंड,

(v) कर्नाटक,

(vi) मध्य प्रदेश,

(vii) महाराष्ट्र,

(viii) राजस्थान,

(ix) तमिलनाडु,

(x) उत्तर प्रदेश ।" ।

[फा.सं. 6-1/2006 वन्य जीव-I]

ए. के. श्रीवास्तव,वन महानिदेशक (वन्य जीव)

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में का.आ.1093(अ) तारीख 22 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 1249(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2004, का.आ. 1324(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2004, का.आ. 802(अ), तारीख 16 मई, 2007 और का.आ. 483(अ) तारीख 25 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September 2010

S.O. 2180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) read with sub -rule (4) of rule 3 of the National Board for Wild Life Rules, 2003, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1093 (E) dated 22nd September, 2003, namely :—

(i) In the said notification, in clause (c), for serial numbers (i), (ii) and (iii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

"(i) Shrimati Chandresh Kumari, Lok Sabha,

(ii) Shri Dushyant Singh, Lok Sabha,

(iii) Shri Karan Singh, Rajya Sabha.";

(ii) In clause (e), for the existing serial numbers and entries, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"(i) Bombay Natural History Society (BNHS), Mumbai,

(ii) Aranyak, Guwahati

(iii) Satpuda Foundation, Amravati,

(iv) Nature Conservation Foundation, Mysore,

(v) Wildlife Society of Orissa, Bhubaneshwar.";

(iii) In clause (f), for the existing serial numbers and entries, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"(i) Shri Valmik Thapar,

(ii) Shri Brijendra Singh,

(iii) Dr. M.K. Ranjitsinh,

(iv) Dr. Divyabhanusinh Chavda,

(v) Shri Bittu Sehgal,

(vi) Smt. Sugathakumary,

(vii) Dr. Uma Ramakrishnan (NCBS, Bangalore),

(viii) Dr. A.J.T. Johnsingh,

(ix) Ms. Mitali Kakkar,

(x) Ms. Prema Bindra.";

(iv) in clause (v), for the existing serial numbers and entries, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"(i) Arunachal Pradesh,

(ii) Assam,

(iii) Jammu and Kashmir,

(iv) Jharkhand,

(v) Karnataka,

(vi) Madhya Pradesh,

(vii) Maharashtra,

(viii) Rajasthan,

(ix) Tamil Nadu,

(x) Uttar Pradesh.".

[F. No. 6-1/2006 WL-I]

A. K. SRIVASTAVA, Inspector General of Forests (WL)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1093(E), dated the 22nd September, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. 1249 (E), dated the 8th November, 2004; S.O. 1324 (E), dated the 1st December, 2004; S.O. 802(E), dated the 16th May, 2007 and S.O. 483(E), dated the 25th February, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.